उत्तर प्रदेश में बाढ़ों से होने वाला विनाश

***184. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में और विशेषकर राज्य के पूर्वी भागों में बाढ़ों तथा भारी बरसात से भारी विनाश होता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को तबाही से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Yes, Sir. Large areas of Uttar Pradesh particularly in eastern parts, are prone to damages by floods.

(b) The proposals include construction of additional marginal embankments, drainage channels, town protection works and anti-erosion works and improvements to the flood forecasting network.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे रामगंगा, सरयू, बेतवा, घाघरा, गंगा, जमुना, गोमती आदि आदि। इनके साथ ही साथ इनकी सहायक नदियां भी हैं। इनमें हर वर्ष बाढ़ आती है जिससे मवेशी बह जाते हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इन प्रस्तावों में अतिरिक्त सीमान्त तटबन्धों का निर्माण जल निकास नालियां, सुरक्षा कार्य तथा कटावरोधी कार्य और बाढ़ पुर्वानुमान नेटवर्क में सुधार शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पूर्वी जिलों को बाढ़ के विनाश से बचाने के लिए किन-किन जगहों पर कहां-कहां तटबन्धों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन धीन है।?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य को यह बताते हुए मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं। जैसा कि आपने कहा बहुत सी नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में 11 नदियां हैं जो गिनती में आती हैं। 5 पूर्वी भाग में हैं और उनका जो एरिया है वह 29 लाख 44 हजार मिलियन हैक्टेयर है। इसमें फ्लड प्रोन जो यू०पी० का एरिया है वह 7.34 है। जो हमने प्रबंध किया है उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं। हमने जो काम किए हैं उसमें ऐंबेंकमेंट 1830 किलोमीटर बनाए हैं। ट्रेनस 12912 किलोमीटर बनाया है। टाउन प्रोटेक्शन स्कीमस 64 बनाई हैं। विलेज रेंजिंग 4500 का हुआ है। इस तरीके से ये सारे काम अब तक हुए हैं।

दूसरी बात यह है कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जिसमें गंगा फ्लड प्रोटेक्शन बोर्ड बना है उसका सारा कार्य हो रहा है। हमने फोरकास्ट के लिए 33 स्टेशन बनाए हैं। 1990 में हमने 782 फोरकास्ट कीं। 8 ऐसे नए स्टेशन बना रहे हैं नेपाल में जिससे कि पहले पता लग जाए कि फ्लड आ रहा है जिससे कि हम उनका नियंत्रण कर सकें।

अगर आप पूछना चाहते हैं कि इस पर कितना खर्चा किया है तो वह भी मैं बता देता हूं...

श्री सभापति : आप सप्लीमेंटरी खुद ही बता रहे हैं?...

श्री बलराम जाखड़ : उनको पूछने का कष्ट न करना पड़े। ऐक्सपेंडीचर 7वें प्लान में 102 करोड़ हुआ। ऐक्सपेंडीचर 1991–92 में 6.5 करोड़ है। आउट-ले 1990–92 का 20 करोड़ है। आउट-ले 8वीं योजना का... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन, जो फसलें बाढ़ से नष्ट हो जाती हैं उसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना की घोषणा की थी। क्या उसके लिए आपकी परमानेंट योजना होगी कि जिनकी फसल नष्ट होती उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, फसल बीमा योजना अभी तक दो स्टेटस में लागू की गई है। यह तो ऐग्रिकल्चर में आती

है। लेकिन वह अभी तक पूर्णरूपेण ठीक नहीं है। जो ऋण लिए हुए हैं उसी पर यह योजना अभी लागू होती है। इसमें कठिनाइयां हैं और इसको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको लागू करें। लेकिन डिजास्टर, कैलेमिटी फंड है उसमें हम पैसा देते हैं। जब भी आवश्यकता होती है वह इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए तिमाही किश्तें दे देते हैं।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मान्यवर, पच्चीसों करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण पर खर्च हो चुका है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन-कौन से उपाय कर रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी उपाय किए गए हैं वे अभी तक कारगर नहीं हुए हैं, क्या नए सिरे से इन पर विचार किया जाएगा ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, विचार तो हमेशा रहता है, इसीलिए बोर्ड बनाया गया है और कारगर उपाय भी हुए हैं। लेकिन इसके कई कारण होते हैं। जैसे ज्यादा बरसात हो जाती है तब फ्लड आता है। ओवर सिल्टिंग हो जाती है बैड्स में इसलिए बाढ़ आती है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : देखने में आया है कि जितना भी आपने इलाज किया उससे ज्यादा तबाही आई।

श्री बलराम जाखड़ : आपका मतलब यह है कि जैसे-जैसे इलाज किया मर्ज बढ़ता गया ? यह बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जो छोटे फ्लड आते हैं वे तो रोक सकते हैं अफारेस्टेशन करके और पेड़ लगा करके लेकिन जब टोरेंशियल रेन होती है तो उससे बाढ़ आती है और जब ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से सिल्ट आती है और सिल्ट से जो पाट होता है वह भर जाता है। पानी के बहाव का रास्ता नहीं रहता। चोक हो जाता है। कुछ नदियों पर ऐसा होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं उनका फैलाव ज्यादा हो जाता है और इससे फर्क पड़ता है। यह कंटी-नुअस प्रोसैस है। यह लोंग टर्म की बात है। दूसरे एक साथ इतना पैसा भी नहीं है जो लगाया जा सके। लेकिन आगे के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है। यह धीरे-धीरे हो जायेगा। जैसे गांव को ऊंचा किया जा रहा है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पता है बाढ़ आनी है लेकिन अगर दुबारा बनाते जायें तो ठीक भी नहीं है। हम उसको रेज करते हैं, साधन बनाते हैं आने-जाने के लिए। (व्यवधान)

SHRI RAM JETHMALANI: The hon. Minister should address the Chair so that we can also hear. Now you are carrying on a dialogue.

श्री बलराम जाखड़ : नया-नया सबक शुरू हुआ है। पंजाबी में एक शेयर है :
"पइयां आदतां जांदिया नहीं वारस शाह,
चाहे कटिये पोरियां पोरियां।"

श्री राम नरेश यादव : प्रश्न यह है कि राज्य के पूर्वी भागों में बाढ़ों तथा भारी बरसात से भारी विनाश होता रहा है। इसके लिए तटबंध बनाने की योजना है, बाढ़ से रोकने की योजना है। एक प्रश्न जो मंत्री महोदय से छूट गया है, उधर ध्यान नहीं गया है वह यह है कि जब बाढ़ अधिक आ जाती है, बरसात अधिक हो जाती है तो नदियों में कटाव बहुत अधिक शुरू हो जाता है। इस आधार पर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो घाघरा नदी है वहां पानी बढ़ा, बाढ़ आई तो कटाव शुरू हो जाता है। हजारों एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है कटाव से, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कटाव को रोकने के लिए कोई योजना है ? दूसरा इससे मिलता हुआ प्रश्न यह है कि उस कटाव से जो लोग परेशान हो जाते हैं, जमीन चली गई, फसल चली गई, मकान चले जाते हैं, काफी कुछ नुकसान हो जाता है तो उसके बाद उनकी व्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सभापति जी, इनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि सारे प्रोग्राम देखने से यह पता चलता लगेगा कि उसमें निराकरण कैसे किया जाए

बाढ़ आती है हम उसके लिए स्पर्स बनाते हैं, एम्बाकमैंट बनाते हैं। स्पर्स इसलिए बनाते हैं कि कटाव न हो और जो लोग उजड़ जाते हैं उनके लिए, जैसा मैंने पहले कहा क्लेमिटी फंड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम यह भी चाहेंगे कि जिन एरियाज का हमें पता है कि यहां फ्लड आते हैं तो वहां पर इस किस्म के गांव बनाये जायें जिनका स्थल ऊंचा हो जो पानी को न छू सकें। जो क्लेमिटी फंड है वह तो हम देते ही हैं।

Pension scheme for the employees covered under the Employees' Provident Fund Scheme

*185. SHRl GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have finalised a pension scheme for the employees covered under Employees' Provident Fund Scheme;

(b) if 50, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I understand that the Board of Trustees of the Employees' Provident Fund Scheme has submitted a comprehensive plan with regard to the sanctioning of a pension scheme. My supplementary is whether the Government has agreed to such a suggestion.

SHRI K. RAMAMURTHY: Mr. Chair man, Sir, it is true that the Central Board of Trustees for Provident Fund have formulated a scheme for giving pension to all the provident fund contributors and the same has been forwarded to the Government. Some amendment has to be brought in the Provident Fund Act. We received *it* and it is under our consideration, *i* assure the hon. Member that an early decision will be taken in this regard.

SHRl GURUDAS DAS GUPTA: My supplementary was this. This scheme includes a large number of workers who are' unorganised just like in beedi, plantation, etc. industries. Therefore, it is essential that some protective cover is extended to them. In view of this I would like to know from the Minister categorically whether the Government is aware of the condition of the workers of this sector and whether they will take action positively to improve their condition.

SHRI K. RAMAMURTHY: Sir, as I have already mentioned, all the provident fund contributors will get this pension as per the scheme formulated by the Board of Trustees. Secondly, before we decide anything on this matter, definitely, we will consult the Trade Unions and if they give any suggestion, we will look into it.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Cold Rolling Mills for Salem Steel Plant

*186. SHRIMATI SATYA BAHIN: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a contract between NISSHO IWAI CORPORATION/HITACHI Ltd. and Salem Steel Plant for supply of Sendzimor type Cold Rolling Mill No. has been finalised; if so, what are the details thereof; and

(b) whether the contract envisages involvement of any Indian sub-agent; if so. the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI SANTOSH MOHAN DEB) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.